न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 77 / 2023

वादी गण   **बनाम**   **प्रतिवादीगण**

बादरा पुत्र तेजा उम्र 70 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. गोपाराम पुत्र मूलाराम उम्र 35 वर्ष 2. छगनलाल पुत्र मूलाराम उम्र 28 वर्ष 3. बगदाराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष 4. मोडीदेवी पत्नि मूलाराम उम्र 65 वर्ष 5. जामता पुत्र तेजा उम्र 66 वर्ष 6. रूपा पुत्र तेजा उम्र 58 वर्ष 7. राणा पुत्र तेजा उम्र 65 वर्ष जातियान कुम्हार निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिता बाड़मेर 8. लीलादेवी पत्नि खीमाराम जाति कलबी निवासी धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 9. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक इण्डिया शाखा दाखां जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण वकील प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी 1 से 9 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 10 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 28.12.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने पेश किया [illegible] में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 208/1 रकबा 7.8069 हैक्टेयर किस्म सोयम, खसरा संख्या 4 रकबा 3. 1147 हैक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 211/1 रकबा 4.2473 हैक्टेयर मौजा घनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 208/1 रकबा 7.8069 हैक्टेयर किस्म सोयम, खसरा संख्या 4 रकबा 3.1147 हेक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा तथा विप्राथर्थीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/20, 1/20 1/20 1/20 हिस्सा विप्रार्थीगण संख्या 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

से 7 प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा तथा खेत खसरा संख्या ...
2473 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/5 तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक ...
1/20 1/20 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 73/2100 हिस्सा, विप्रार्थी ...
से 7 प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5 हिस्ता तथा पिप्रार्थी सख्या 8 का 8/...
खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड ...
खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से ...
इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर ...
मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य ...
सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि ...
कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाड़े ...
कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने ...
आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने ...
पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त ...
भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का ...
प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के ...
मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व ...
कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी ...
संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई ...
परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट
भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा
उक्त खसरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा
सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का
विधिवत रूप से बटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलागी भूमि में विप्रार्थीगण
विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नही है. क्योंकि सामलाती भूमि
पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है प्रार्थी को सड़क
मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे
है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय ... होगी
जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी ...
है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में ... में
स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 208/1 रकबा ... हैक्टेयर ...
रकबा 3.1147 हैक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर तथा खसरा ...
रकबा 4.2473 हैक्टेयर मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट
किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्राथर्थी को
बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही
मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क
मार्ग या कटाल मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस
आशय की अच्यापी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्राथीगण के विरुद्ध जारी की जावे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kun
Date: 2024.02.14 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

हमने अधिवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 208/1 रकबा 7.8069 हैक्टेयर किस्म सोयम, खसरा संख्या 4 रकबा 3. 1147 हैक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 211/1 रकबा 4.2473 हैक्टेयर मौजा धनवा पटवार क्षेत्र धनवा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 208/1 रकबा 7.8069 हैक्टेयर किस्म सोयम, खसरा संख्या 4 रकबा 3.1147 हेक्टेयर कुल रकबा 10.9216 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/20, 1/20 1/20 1/20 हिस्सा विप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा तथा खेत खसरा संख्या 211/1 रकबा 4. 2473 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/5 तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/20, 1/20 1/20 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 4 का 73/2100 हिस्सा, विप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 प्रत्येक का 1/5, 1/5, 1/5 हिस्ता तथा पिप्रार्थी सख्या 8 का 8/525 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। जहां तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है के सन्दर्भ में ऐसा कोई बेदखली अथवा निर्माण से संबंधी साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वंय द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा ? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:09:50 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी